13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

| अमीन | अ0स0 अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0ख0, लो0नि0वि0<br>नैनीताल |
|---|---|---|---|

# स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– :– जनपद नैनीताल–कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| अमीन | अ0स0 अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0ख0, लो0नि0वि0<br>नैनीताल |

तहसीलदार
नैनीताल.

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय उप जिलाधिकारी / परगनाधिकारी
जनपद नैनीताल
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

# मलुवा निस्तारण प्रमाण

परियोजना का नाम :– :– जनपद नैनीताल–कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का ~~पुनः~~ निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के नव निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण मार्ग निर्माण हेतु भरान कार्य में किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| अ0स0 अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0ख0,लो0नि0वि0<br>नैनीताल | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0ख0, लो0नि0वि0<br>नैनीताल |

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढूंगी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का नव निर्माण कार्य।

## मलुवा निस्तारण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग के निर्माण से उत्पन्न मलुवे का 60% भाग Soil Mixed With Gravel के रूप में तथा 40% भाग पत्थर व बोल्ड़र के रूप में प्राप्त होगा।

मार्ग में प्रति किलौमीटर 4 पासिंग प्लेस बनाए जाने हैं, जिन पर Soil Mixed With Gravel के रूप में प्राप्त मलुवे का 15% भाग भर कर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।

शेष 45% Soil Mixed With Gravel के रूप में प्राप्त मलुवे के निस्तारण हेतु खड्ड साइड़ में निम्न प्रकार दीवारों का निर्माण किया जाएगा।

| क्रं0 सं0 | कार्य का विवरण | सं0 | लं0 | चौ0 | उ0/ग0 | मात्रा आयतन | दर | धनराशि रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मोटर मार्ग निर्माण में पहाड़ कटान से निकले मलुवे को खड्ड साईड़ में निस्तारण हेतु दीवार निर्माण के लिए नींव खुदान का कार्य (मजदूर एवं संयंत्र सहित) | | | | | | | |
| | किमी0 1 से किमी0 5.500–चैनेज 0.000 से 5.500 तक | 5.50 X 16 X 1/3 | 25.00 | 3.00 | 0.0+1.60/2 | 319.99 | 50.00 | 2933.33 |
| | | | | | | | | |
| 2. | पत्थर की सूखी चिनाई का कार्य मजदूर, सामग्री, एवं यंत्र सहित प्रतिधारक दीवारों में | 5.50 X 2 | 25.00 | (0.60+1.35)/2 | 3.00 | 146.25 | 550.00 | 133100.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | योग | 136033.33 |
| | | | | | | | Say | 136033.00 |

प्राक्कलन में दरें अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार ली गई हैं।

मलुवे का 40% भाग जो कि पत्थर व बोल्ड़र के रूप में प्राप्त होगा, का इस्तेमाल उपरोक्त दीवारों के अलावा इस मार्ग पर बनाए जाने वाली Retaining Walls, Breast Walls, Scuppers एवं Causeway में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

AAE

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

**परियोजना का नाम :–** जनपद नैनीताल–कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

## मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।